अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. छीताबाई बेवा भंवरलाल जाति गूजर निवासी धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. अयोध्या बाई पुत्री भंवरलाल पत्नी बृजमोहन जाति गूजरि निवासी धनसूरी हाल निवास औंकारपुरा जिला बूंदी

– वादीगण

बनाम

1. दीनानाथ पुत्र भंवरलाल
2. लटूर लाल पुत्र गोपाल
3. प्रकाश बाई पुत्री गोपाल
4. रामनाथी बेवा सूरजमल
5. गोविन्द पुत्र सूरजमल
6. गोबरीबाई पुत्री सूरजमल
7. रामसिंह पुत्री मथुरालाल निवासीगण धनसूरी तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर–95/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 101 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 102 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 291/456 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 360/457 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.36 हे0 एवं ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 177 रकबा रकबा 0.72 हे0, ख0नं0 187 रकबा 2.45 हे0, ख0नं0 197 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.54 हे0 भूमि में वादी नं0 1 छीता बाई बेवा भंवरलाल को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नं0 2 का अंकित नाम ज्योति के स्थान पर अयोध्या बाई उर्फ ज्योति पुत्री भंवरलाल दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाते है।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

Scanned by CamScanner

मोहर अदालत से आज दिनांक 04.04.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.18	पत्रावली पेश हुई, वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 व 5 मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। उभयपक्ष अधिवक्ता नें निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनें जवाब दावा में वाद वादीगण डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की है, अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावें। उभयपक्ष को सुना गया, पत्रावली वास्तें आदेशार्थ दिनांक 04.04.2018 को पेश हो।	
4/4/18	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं वांछित रिलीफ के क्रम में विधिक विचारण किया। प्रतिवादी नं0 1 व 5 की ओर से इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये कि वादी नं0 1 को विवादित आराजी में सहखातेदार घोषित किये जानें एवं प्रतिवादी नं0 2 का नाम दुरूस्त किये जानें में कोई आपत्ति नहीं है साथ ही प्रतिवादी नं0 1 की ओर से इस बाबत् भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि इसी न्यायालय में पूर्व में जैरकार प्रकरण में एकतरफा निर्णय पारित किया गया था, जिसके आधार पर पूर्व वाद में वर्णित उनवान अनुसार दावा डिक्री किया गया था, जिसमें वादी नं0 2 का नाम ज्याति अंकित किया गया था तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। चूंकि वादी नं0 1 भंवरलाल की बेवा है, जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना एवं वादी नं0 2 का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों से अयोध्या बाई होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रतिवादी नं0 1 व 5 की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा ग्राम धनसूरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 101 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 102 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 291/456 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 360/457 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.36 हे0 एवं ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 177 रकबा रकबा 0.72 हे0, ख0नं0 187 रकबा 2.45 हे0, ख0नं0 197 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 3 रकवा 3.54 हे0 भूमि में वादी नं0 1 छीता बाई बेवा भंवरलाल को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नं0 2 का अंकित नाम ज्योति के स्थान पर अयोध्या बाई उर्फ ज्योति पुत्री भंवरलाल दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	(K K Vyas)